**पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा 142 के अधीन परिवाद**

न्यायालय मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट .....................

श्री .............पुत्र ................... निवासी ....................... परिवादी

बनाम

. ........................................................................................ अभियुक्त

1988 के अधिनियम 66 द्वारा यथासंशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एवम् 142 के अधीन परिवाद।

परिवादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है।

1. यह कि अभियुक्त ................ के साथ संव्यवहार करने वाला स्वत्वधारी है।
2. यह कि अभियुक्त ने परिवादी से ..........................रुपये का लिया और रुपये के लिए तारीख ................. को एक प्रोनोट का निष्पादन किया (प्रोनोट की एक फोटो स्टेट प्रतिलिपि उपाबन्ध है)
3. यह कि अभियुक्त ने तारीखं ................ को लिखे गये ................. रुपये (................ रुपये मात्र) की राशि के लिए चैक सं0 ................. दिनांकित ................. जारी किया और कथित ऋण/प्रोनोट की बाबत उसके दायित्व के निर्वहन में परिवादी को इसको दिया।

(चैक की फोटो स्टेट प्रतिलिपि उपाबन्ध ............... है) कथित चैक का जारी करते समय अभियुक्त ने परिवादी को यह आश्वासन दिया कि चैक का आदर इसके अभियोजन पर किया जाता है।

1. यह कि परिवादी कथन करता है कि चेक तारीख ............... को परिवादी के बैंक ............... के जरिये . संग्रहण के लिए प्रस्तुत किया गया और कथित चैक "लेखीवाल को निर्देश" एक ज्ञापन के साथ बैक में अभियुक्त के खाते में निधि की पर्याप्तता के कारण असंदत्त तारीख ................. को वापस कर दिया। (बैंक के ज्ञापन की फोटो प्रतिलिपि उपाबंध.................. है।

अभियुक्त उसी समय के प्रारम्भ से अतएव बेइमानी एवम् दोषी आशय या अधिकार रखता था जब उसने उपर्युक्त चैक जारी किया।

1. यह कि परिवादी ने ठीक उसके पश्चात् अभियुक्त से सम्पर्क किया और चैक के अनाहत होने के बारे में उसको सूचित किया लेकिन अभियुक्त ने कोई ध्यान नहीं दिया।
2. यह कि परिवादी कथन करता है कि यथा संदत्त चैक के अनादर/विवरण से सम्बन्धित बैंक से उसकी सूचना की रसीद के पन्द्रह दिनों के अन्दर नोटिस की प्राप्ति की तारीख पन्द्रह दिन के अन्दर उसने भेजा अनाहत किये गये चैक पर देय ब्याज के साथ-साथ कथित र के संदाय के लिए अभियुक्त से अपेक्षाकर तारीख ................. को अभियुक्त को ................... अपने अधिवक्ता के जरिये एक रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति पत्र तथा यू. पी. सी. नोटिस दिनांकित .......................... देखे : डाक सम्बन्धी रसीद सं ................ दिनांकित ................ (... ..........डाकघर) । अभियुक्त कथित नोटिस की रसीद को अभिस्वीकृत किया देखे देय अभिस्वीकृति। रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति पत्र/यू. पी. सी. एवम् अभिस्वीकृति कार्ड की डाक सम्बन्धी रसीद को फोटो स्टेट प्रतिलिपियाँ उपाबंध ................ है विधिक नोटिस की छाया प्रतिलिपि उपाबंध ................. है) तारीख ................ को नोटिस प्राप्त कर चुकने पर विधिक नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर संदाय करने में असफल हो गया है। यह कि समझा जाता है कि अभियुक्त ने तारीख ................ को नोटिस को प्राप्त कर चुका है क्योंकि नोटिस रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति पत्र तथा तारीख ................ की यू0 पी0 सी0 के अधीन भेजी गयी थी। अभियुक्त तारीख .............. को नोटिस प्राप्त कर चुकने पर विधिक नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के अन्दर संदाय करने में असफल हो गया।
3. यह कि परिवादी निवेदन करता है कि अभियुक्त ने अपने बैंक खाते में पर्याप्त निधि के बिना ही चैक जारी किया था। अतएव अभियुक्त ने 1988 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1988 की धारा 138 के अधीन अपराध कारित किया और दण्डित किये जाने के लिए दायी है।
4. यह कि परिवादी आगे निवेदन करती है कि अभियुक्त ने न संदाय करने के लिए पूर्व आशय के साथ उसको ऋण सहायता देने में साशय परिवादी को उत्प्रेरित किया और तद्वारा परिवादी के साथ धोखाधड़ी की और भा. द. सं. की धारा 415 एवम् 420 के अधीन अपराध कारित किया।
5. यह कि प्रस्तुत अभियोजन के लिए वाद हेतुक 16वें दिन अर्थात् उपर्युक्त विधिक नोटिस की प्राप्ति के समाप्ति के पश्चात तारीख ................ को और अभियुक्त द्वारा रकम के न भुगतान किया जाने के कारण पैदा हुआ।
6. यह कि परिवादी आगे निवेदन करता है कि वह कथित धन के भुगतान के लिए दिये गये समय पन्द्रह दिनों की समाप्ति की तारीख से एक महीने के अन्दर परिवाद दाखिल किया है। कथित चैक ................ में पेश किया गया ................ में जारी किया गया जहाँ चैंक परिवादी बैक द्वारा असंदत्त होने के रूप में वापस कर दिया गया और इसलिए इस माननीय न्यायालय के पास अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता है।
7. यह कि अभियुक्त ने अतएव, 1988 में यथा संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1988 की धारा 138 तथा भा0 द0 सं0 की धारा 415 & 420 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है। परिवादी किसी प्रकार कथित उपचार के और अधिक प्रभावकारी एवम् द्रुतगामी होने के कारण यथा संशोधित परक्राम्य लिखता अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए मात्र अभियुक्त को अभियोजित करने का चुनाव करता है।

अतएव यह प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त को 1988 में यथा संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1988 की धारा 138 के अधीन विचारण का सामना करने के लिए समन किया जाए और उसका विचारण किया जाए तथा तत्पश्चात विधि के अनुसार दण्डित किया जाए।

यह भी आगे प्रार्थना की जाती है कि आदरणीय न्यायालय निम्नलिखित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 सपठित धारा 117 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन जुर्माने की रकम में प्रतिकर के भुगतान हेतु भी आदेश करने की कृपा करे।

(1) चैक रकम..................................................रुपये

(२) बैंक सेवा प्रभार ..................................................रुपये

(3) नोटिस प्रभार ..................................................रुपये

(4) एडवोकेट फीस ..................................................रुपये

(5) ब्याज रकम (........ तक) ..................................................रुपये

...............................रुपये (भुगतान

होने तक ..........

वार्षिक दर से ब्याज सहित)

...............................................में दिनांकित ...............................................

|  |  |
| --- | --- |
| परिवादी के लिए अधिवक्ता | परिवादी |
| दस्तावेजो की सूची | साक्षियों की सूची |
| 1. अनाद्रुत किया गया चैक | 1. परिवाद  |
| 2. बैंक की विवरणी ज्ञाप | 2. प्रबन्धक शासकीय बैंकशाखायह प्रदर्शित करने हेतु अभिलेख के साथ बैंक का कर्मचारी कि अभियुक्त तारीख को अपने बैंक खाता सं. में निधि पर्याप्त रकम नहीं रखता था जब उसने चैक जारी किया और उस तारीख को जब चैक प्रस्तुत किया गया तथा अनाद्रुत कर दिया गया | |
| 3. परिवादी का बैंक विवरण ज्ञाप । |
| 4. अभियुक्त पर तामील की गयी नोटिस की प्रतिलिपि |
| 5. रजिस्ट्रीकृत अभिस्वीकृति नोटिस तथा यू. पी. सी. की डाक रसीद  |
| 6. अभिस्वीकृति पत्र  |
| 7. प्रोनोट  |
| 8. विशेष मुख्तारनामा  |
| 9. कालानुक्रम कथन | 3. न्यायालय की अनुज्ञा से कोई अन्य साक्षी |

परिवादी